

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 17 अगस्त, 2015

संख्या-3/पद.-1(ख)-13/2014 का.-7405/ संयुक्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची (अतिरिक्त प्रभार अपर निदेशक, श्रीकृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, झारखण्ड, राँची) के पद पर पदस्थापित श्री रणेन्द्र कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 468/03, गृह जिला- नालन्दा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक खेलकूद, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-3/पद.-1(ख)-13/2014 का.-7406/ पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री युगल किशोर चौबे, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 524/03, गृह जिला- रोहतास) को अगले आदेश तक निदेशक खाद्य, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-3/पद.-1(ख)-13/2014 का.-7407/ अपर समाहर्ता, कोडरमा के पद पर पदस्थापित श्री अरविन्द कुमार मिश्र, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 623/03, गृह जिला- गोड्डा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-3/पद.-1(ख)-13/2014 का.-7408/ उप सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री मुकुन्द दास, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 594/03, गृह जिला- देवघर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-3/पद.-1(ख)-13/2014 का.-7409/ उप सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजीव रंजन कुमार, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 716/03, गृह जिला- पलामू) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक महाप्रबंधक, कार्मिक-सह-सामान्य प्रशासन, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या-3/पद.-1(ख)-13/2014 का.-7410/ सचिव, माडा, धनबाद के पद पर पदस्थापित मो0 परवेज इब्राहिमी, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 662/03, गृह जिला- दुमका) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।


संख्या-3/पद.-1(ख)-13/2014 का.-7411/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री राजेश कुमार राय, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 700/03, गृह जिला- हजारीबाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह- उप सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।


1.7.15


संख्या-3/पद.-1(ख)-13/2014 का.-7412/उप निर्वाचन पदाधिकारी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री विपिन उराँव, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 803/03, गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।

संख्या-3/पद.-1(ख)-13/2014 का.-7413/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, बोकारो के पद पर पदस्थापित श्री अल्बर्ट बिलुंग, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक- 783/03, गृह जिला- गुमला) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है।


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(एच0 के0 सुधाशु)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-3/पद.-1(ख)-13/2014 का.-7413/ राँची, दिनांक- 17 अगस्त, 2015
प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-3/पद.-1(ख)-13/2014 का.-7413/ राँची, दिनांक- 17 अगस्त, 2015
प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सचिव कोषांग, कार्मिक, प्र0सु0 तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।